10	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation and percentage of the post to be filled by various methods	100% by Direct Recruitment	100% by Direct Recruitment	No changes
11	In case of recruitment any promotion/deputation/absorption grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Not applicable	Not applicable	No changes
12	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	a)Director RLTRI Chairman b) Deputy Director,RLTRI – Member c) Medical Officer, RLTRI - Member	a) Director RLTRI - Chairman b) Deputy Director - Member c) Medical Officer - Member	No changes
13	Circumstances in which Union Public Service Commission/SSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable	Not applicable	No changes

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषयः क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), रायपुर, छत्तीसगढ़ में ड्राइवर के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन से संबंधी सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

डीओपी एंड टी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/61/2008-स्थापना (आर.आर) के अनुपालन में क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), रायपुर, छत्तीगढ़ में ड्राइवर के पद हेतु मसौदा भर्ती नियम संलग्न है।

2. मसौदा भर्ती नियमों से संबंधी कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने के इच्छुक पणधारी ऐसा लिखित रूप में श्री अम्बा दत्त बवाड़ी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली-110008 को या ई-मेल पते ad.bawari@nic.in पर मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर सकते हैं।

अम्बा दत्त बवाड़ी

(अम्बा दत्त बवाड़ी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23061510

नई दिल्ली
31 मई, 2018

[भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली

अधिसूचना

जीएसआर...अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा राष्ट्रपति क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान, रायपुर में समूह-ग के ड्राइवर के पद के लिए भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमों को बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारंभ-**

इन नियमों को क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान, रायपुर समूह 'ग' "ड्राइवर" भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा। ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतनमान-** इससे संबंधित पद की संख्या, इसका वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उपर्युक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा, अर्हता व इससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति,

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(j) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. <u>शिथिल करने की शक्ति</u>: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. <u>व्यावृत्ति:</u> इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।